

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवरीजोद
द्वारा श्री हीराबाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपावडौद जिला बारा
प्रकरण संख्या :- 83/2017 वादा
दायरा दिनांक :- 47.04.2017
निर्णय दिनांक :- 30.06.2017

उनवान

सामप्रताप पुत्र चम्पाहाल जाति काछी/निवासी छीपावडौद तहसील छीपावडौद

बनाम

राज्य सरकार जरी तहसीलदार छीपावडौद जिला बारा


वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :- 30.06.2017

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी :
न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 237 रकवा 05.05 बीघा, ख0नं0 11
रकवा 2.03 बीघा मौजा छीपावडौद में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। उ
वर्णित आराजियात की रीमा व मेड के संबंध में पडौसी काश्तकारों से हमेशा विवाद बना रहता है।
पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोड़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं इन
वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 01.12.2012 को उक्त
आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना
तो उन्होंने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार
01.12.2012 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का
करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने
करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरी सम्मन तलव किया गया
अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम छीपावडौद संवत 2057-60 खाता संख्या 35
गई। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के नि
जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प छीपावडौद पर उपस्थित
का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन
कब्जा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सी
पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद
हो सके। प्रतिवादी पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी आपने खाते की आराजी
कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।


उपखण्ड अधिकारी
छीपावडौद जिला बारा


(2)

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम छीपावडौद संवत् 2057-60 खाता संख्या 356 के आराजी ख0न0 237 रकवा 05.05 बीघा, ख0न0 1110 रकवा 2.03 बीघा वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज है। वादी अपने खाते एवे कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प छीपावडौद पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम छीपावडौद के ख0न0 ख0न0 237 रकवा 05.05 बीघा, ख0न0 1110 रकवा 2.03 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपावडौद दिये जाते हैं। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।


(हीरालाल शर्मा)
सुपेखण्ड अधिकारी
छीपावडौद जिला बारा